



अनुसूची  
वसूल की जाने वाली रकम

1. राजस्व या लगान या तकाबी की देय रकम राशि रु. 1,77,01,548/- एवं ब्याज नियमानुसार
  2. कुर्की का खर्चा
  3. विक्रय का, यदि सम्पत्ति नीलाम नहीं की गई तो आमीन की प्रतिनियुक्ति का खर्चा- नियमानुसार
- योग- राशि रु. 1,77,01,548/- एवं नियमानुसार ब्याज

बेची जाने वाली सम्पत्ति

समूहों (प्लाटों) की सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956 की धारा 235 या 237 के अधीन विक्रय की दशा में निर्धारित राजस्व	भूमि धारक के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके मार्फत वह अधिकार रखने का दावा रखता हो उत्पन्न किये भूमि में हित या अधिकारों के विवरण (तुलनार्थ देखिये) राज. एक्ट 1956 की धारा 236 की उपधारा (3)	दावे यदि कोई जो कि सम्पत्ति के संबंध में रखे गये हों व उसकी किस्म तथा मूल्य के संबंध में कोई भी ज्ञात विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नि. ग्रा. पड़िहारा पटवार हल्का पड़िहारा तहसील रतनगढ़ कुल रकबा- 0.4047 है०	1. खाता सं. नया 54 खसरा सं. 781/997 क्षेत्रफल 0.4047 है०		हैक्टेयर	स्वयं के नाम

आज दिनांक ..03..माह..05..वर्ष .2024....को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से युक्त जारी की गई।

न्यायालय सहायक खनि अभियन्ता (वसूली)  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,  
चूरु (राज.)।  
दिनांक:-03.05.2024

क्रमांक:-सम/03-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु (राज.)।
2. श्रीमान तहसीलदार, रतनगढ़ ।
3. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रतनगढ़।
4. श्रीमान् थानाधिकारी रतनगढ़ को भेजकर निवेदन है कि बाकीदार को नोटिस तामिल करवाने का श्रम करावें।
5. हल्का पटवारी, पड़िहारा तहसील रतनगढ़ जिला चूरु।
6. नीलामी अधिकारी श्री अर्जुनराम खनि कार्यदेशक-II।
7. बाकीदार सर्वश्री रणधीसर स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव निवासी रणधीसर पहाड़ी, तह. सुजानगढ़ जिला चूरु को द्वारा थानाधिकारी रतनगढ़।
8. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, डीएमजीओएमएस, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

RajKaj Ref  
6967300

**Signature valid**

Digitally signed by Narsing Lal Meghwal  
Designation : Assistant Mining Engineer  
Date: 2024.05.03 16:24:17 IST  
Reason: Approved